UPBB010022542011

**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय सं० 04, बाराबंकी ।**
**पीठासीन अधिकारी–: परशुराम, (H.J.S.) J.O. Code No. UP 6451**
**विशेष सत्र परीक्षण संख्या–1218 / 2011**

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष

**बनाम**

मो० मुश्ताक पुत्र फरीद, निवासी करौंदीकला, थाना सतरिख, जनपद बाराबंकी ।

.....अभियुक्त

अपराध संख्या–-365/2011
धारा–8/21/9A/25A स्वापक औषधि एवं
मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985
थाना–जैदपुर, बाराबंकी ।

**निर्णय**

**1.** अभियुक्त मो० मुश्ताक के विरूद्ध थाना–जैदपुर, जिला बाराबंकी की पुलिस द्वारा अन्तर्गत अपराध संख्या–365/2011, धारा–8/21/9A/25A स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 थाना–जैदपुर, जिला बाराबंकी के तहत आरोप पत्र विचारण कर दण्डित करने हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है ।

**2.** संक्षेप में चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक-10/06/2011 को वादी एस०आई० रामकुमार वर्मा मय हमराही कांस्टेबिलगण राजनारायण यादव व दीना नाथ यादव के वास्ते तलाश वांछित अपराधीगण थाने से बहवाले रपट संख्या–42 समय 16:45 बजे रवाना होकर ग्राम टिकरा में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो करौंदी गाँव का रहने वाला है, अपने गाँव से कुछ मारफीन व एक पिपिया में मारफीन बनाने वाला तरल पदार्थ लेकर चंदौली मानपुर चौराहे जैदपुर हरख जाने वाली रोड की तरफ आ रहा है जो किसी साधन से लखनऊ अथवा बाराबंकी जाएगा। यदि जल्दी की जाये तो पकड़ा जा सकता है कि मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर मय हमराही कर्मचारीगण व मुखबिर को साथ लेकर आसनाय राह से गवाह फराहम करने की कोशिश करते हुए परन्तु भलाई बुराई के डर के कारण कोई भी व्यक्ति गवाही के लिए तैयार नहीं हुआ था कि हम लोग चंदौली मानपुर चौराहा हरख रोड के करीब पहुंचे तो एक व्यक्ति चौराहा पर सड़क के किनारे बैठा हुआ एक सफेद प्लास्टिक की पीपिया लिए बैठा दिखाई दिया, जिसको देखकर मुखबिर इशारा कर चला गया। बैठा हुआ व्यक्ति हम पुलिस वालों को देखकर उठकर अपने हाथ में पिपिया लेकर करौंदी जाने वाली सड़क से तेज कदमों से चलने लगा कि शक होने पर

हमराही कर्मचारी गण की मदद से चौराहा से करीब 20-25 कदम की दूरी पर रोक लिया। और नाम पता पूछते हुए उससे एकदम से उठकर चलने का कारण पूछा गया तो उसने अपना नाम मो० मुश्ताक पुत्र फरीद निवासी करौंदीकला थाना सतरिख जिला बाराबंकी बताते हुए कहा कि साहब मेरे पास थोड़ी मारफीन है तथा इस पिपिया में मारफीन बनाने वाला तरल पदार्थ है। इसे इस्टिक एन. हाइड्राइड कहते हैं, इसलिए डर के कारण भागना चाह रहा था कि आप लोगों ने पकड़ लिया। मो० मुश्ताक द्वारा अपने पास मारफीन का होना व मारफीन बनाने वाला इस्टिक एन. हाइड्राइड का होना बता रहा था, अतः उसे बताया गया कि आपको को यह अधिकार कि आप अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी के समक्ष चलकर दे सकते हैं या फिर उन्हें सूचना देकर यहीं बुला लिया जा सकता है जिस पर मो० मुश्ताक ने बताया कि मुझे कहीं नहीं जाना है। मैंने आपसे पहले ही बता दिया है, जो भी तलाशी लेनी हो, मैंने बताया है वही निकलेगा आप पर मुझे विश्वास है आप ही मेरी तलाशी ले लीजिए । मो० मुश्ताक की सहमति पर सहमति पत्र लिख पढ़कर सुना कर निशानी अंगूठा बनवाया गया। मो० मुस्ताक के इत्मीनान हेतु हम पुलिस वालों ने एक–दूसरे की जामा तलाशी ले देकर इत्मीनान किया कि किसी के पास कोई अवैध वस्तु नहीं है। तत्पश्चात मो० मुश्ताक उपरोक्त की जामा तलाशी ली गई तो दाहिने हाथ से एक सफेद रंग की प्लास्टिक की पिपिया, जिसमें करीब 10 लीटर तरल पदार्थ मटमैले, रंग का था जिसका ढक्कन खोलकर सूंघा व हमराहगण को सुंघाया तो बहुत ही गहरी तीक्ष्ण गंध आ रही थी । मो० मुस्ताक ने इस्टिक एन. हाइड्राइड बताया, जो मारफीन बनाने में काम आता है। पिपिया पर एक लेवल जिस पर 'मजबूत क्वालिटी का वादा रतन हेवी ड्यूटी' लिखा है तथा पहने हुए जींस पैंट के सामने दाहिनी वाली जेब से एक पॉलीथिन में अखबार में लिपटा हुआ पाउडर जैसा पदार्थ बरामद हुआ, जिसे खोलकर देखा तो भूरे रंग का सूंघने पर मारफीन की बू आ रही थी। जिसे मुश्ताक ने बताया साहब, यही मारफीन है। तत्पश्चात बरामद मारफीन का वजन तफ्तीश किट से तराजू बांट निकालकर तौल की गई तो वजन 100 gram पाया गया। मो0 मुस्ताक से मारफीन व इस्टिक एन. हाइड्राइड को रखने के संबंध में अधिकार पत्र मांगा गया तो नहीं दिखा सका मो० मस्ताक को उसके जुर्म धारा- 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट से अवगत कराते हुए कारण बताकर गिरफ्तारी, मानवाधिकार आयोग एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों निर्देशों का पालन करते हुए समय करीब 18:30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा बरामद मारफीन व पिपिया इस्टिक एन हाइड्राइड को कब्जा पुलिस में लिया गया। दौरान गिरफ्तारी, अभियुक्त व बरामदगी माल उपरोक्त आने जाने वाले राहगीरों से गवाही के लिए कहा गया तो भलाई बुराई के डर से कोई व्यक्ति गवाही के लिए तैयार नहीं हुआ। मौके पर ही बरामद मारफीन को उसी अखबार व पॉलीथीन में रखकर एक कपड़े में रखकर तथा पिपिया के ढक्कन को बंद कर एक कपड़े से मुंह बांधकर सीलमोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। मौके पर ही गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया। पूँछतांछ करने पर मो० मुश्ताक ने बताया कि यह माल मेरे ही गाँव के लुगुद्दी पुत्र जब्बार का है, जिसने मुझसे कहा था कि यह माल हरख रोड तक पहुंचा दो। मैं पीछे से आ रहा हूँ जिसे यह माल देना है, उसे वहीं बुला लूंगा। उसी का मैं इंतजार कर रहा था। मुझे यह नहीं पता कि किसे माल देना है, मो० मुस्ताक की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिवारजन को जरिए उचित माध्यम भिजवाई जा रही है। फर्द मौके पर पढ़ लिखकर सुनाकर अलामात हमराही कर्मचारीगण व अभियुक्त बनवाए गए। फर्द बरामदगी के आधार पर घटना की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या–365/2011, धारा-8/21 NDPS Act दर्ज की गयी जिसका इन्द्राज कायमी जी०डी० जी.डी.रपट

संख्या– 50 समय 20:15 पर किया गया । अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी । विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही के अनुक्रम में घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया । गवाहों के बयान अंकित किये गये । दौरान विवेचना मामले में रपट संख्या-11, दिनांकित-11-06-2011, समय 09:10 बजे , धारा-9A/25A NDPS Act की बढ़ोत्तरी की गयी । बरामद माल मारफीन व एसटिक एन. हाइड्राइड को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया । दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त मो० मुश्ताक के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अपराध संख्या –365/2011, धारा–8/21/9A/25A स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 थाना–जैदपुर, जिला बाराबंकी के तहत आरोप पत्र सत्र न्यायालय, बाराबंकी में दिनांक-21-09-2011 को प्रेषित किया गया । न्यायालय द्वारा मामले का संज्ञान लिया गया । तदुपरांत माननीय सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी के आदेशोपरांत यह मामला इस न्यायालय में अंतरित होकर प्राप्त हुआ ।

**3.** अभियुक्त मो० मुश्ताक के विरूद्ध न्यायालय आदेश दिनांकित 18-08-2012 के द्वारा धारा–8/21/9A/25A स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम का आरोप विरचित किया गया । अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया । अभियुक्त द्वारा आरोप से इन्कार किया गया व विचारण की मांग की गयी ।

**4.** अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में परीक्षित कराये गये साक्षियों का विवरण निम्नवत् है–

| **अभियोजन साक्षी संख्या-** | **गवाहों के नाम** | **विवरण** |
|---|---|---|
| PW-1 | उप निरीक्षक रामकुमार वर्मा | सहमति पत्र, फर्द बरामदगी, गिरफ्तारी मेमों एवं घटना का चश्मदीद साक्षी |
| PW-2 | उप निरीक्षक राजा सिंह | चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट व कायमी जी०डी० |

**5.** अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्य व उनको साबित करने वाले गवाहों का विवरण निम्नवत् है–

| **प्रदर्श संख्या-** | **प्रदर्श का विवरण** | **प्रदर्श जिन गवाहों द्वारा साबित किये गये** |
|---|---|---|
| क-1 | सहमति पत्र | PW-1 उप निरीक्षक रामकुमार वर्मा |
| क-2 | गिरफ्तारी मेमों | PW-1 उप निरीक्षक रामकुमार वर्मा |
| क-3 | फर्द बरामदगी | PW-1 उप निरीक्षक रामकुमार वर्मा |
| क-4 | चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट | PW-2 उप निरीक्षक राजा सिंह |
| क-5 | कार्बन प्रति कायमी जी०डी० | PW-2 उप निरीक्षक राजा सिंह |

**6.** अभियुक्त की ओर से नक्शा नजरी, आरोप पत्र व विधि विज्ञान प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी है । जिसके आधार पर नक्शा नजरी पर प्रदर्श क-6, आरोप पत्र पर प्रदर्श क-7 व विधि विज्ञान प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट पर प्रदर्श क-8 डाला गया ।

**7.** अभियुक्त मो० मुश्ताक का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० अभिलिखित किया गया । सफाई में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

**8.** मैंने दौरान बहस विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को विस्तार से सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया ।

**9.** अभियोजन कथानक व प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-5 के अनुसार दिनांक-10/06/2011 को वादी एस०आई० रामकुमार वर्मा मय हमराही कांस्टेबिलगण राजनारायण यादव व दीना नाथ यादव के वास्ते तलाश वांछित अपराधीगण थाने से बहवाले रपट संख्या–42 समय 16:45 बजे रवाना होकर ग्राम टिकरा में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो करौंदी गाँव का रहने वाला है, अपने गाँव से कुछ मारफीन व एक पिपिया में मारफीन बनाने वाला तरल पदार्थ लेकर चंदौली मानपुर चौराहे जैदपुर हरख जाने वाली रोड की तरफ आ रहा है जो किसी साधन से लखनऊ अथवा बाराबंकी जाएगा। यदि जल्दी की जाये तो पकड़ा जा सकता है कि मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर मय हमराही कर्मचारीगण व मुखबिर को साथ लेकर हम लोग चंदौली मानपुर चौराहा हरख रोड के करीब पहुंचे तो एक व्यक्ति चौराहा पर सड़क के किनारे बैठा हुआ एक सफेद प्लास्टिक की पीपिया लिए बैठा दिखाई दिया, जिसको देखकर मुखबिर इशारा कर चला गया। बैठा हुआ व्यक्ति हम पुलिस वालों को देखकर उठकर अपने हाथ में पिपिया लेकर करौंदी जाने वाली सड़क से तेज कदमों से चलने लगा कि शक होने पर हमराही कर्मचारी गण की मदद से चौराहा से करीब 20-25 कदम की दूरी पर रोक लिया। और नाम पता पूछते हुए उससे एकदम से उठकर चलने का कारण पूछा गया तो उसने अपना नाम मो० मुश्ताक पुत्र फरीद निवासी करौंदीकला थाना सतरिख जिला बाराबंकी बताते हुए कहा कि साहब मेरे पास थोड़ी मारफीन है तथा इस पिपिया में मारफीन बनाने वाला तरल पदार्थ है। इसे इस्टिक एन. हाइड्राइड कहते हैं, इसलिए डर के कारण भागना चाह रहा था कि आप लोगों ने पकड़ लिया। मो० मुश्ताक की सहमति पर उसकी तलाशी लिये जाने सम्बंधी सहमति पत्र लिख पढ़कर सुना कर, उस पर निशानी अंगूठा बनवाया गया। पुलिस वालों ने एक–दूसरे की जामा तलाशी ले देकर इत्मीनान किया कि किसी के पास कोई अवैध वस्तु नहीं है, मो० मुश्ताक उपरोक्त की जामा तलाशी ली गई तो उसके दाहिने हाथ से एक सफेद रंग की प्लास्टिक की पिपिया, जिसमें करीब 10 लीटर तरल पदार्थ मटमैले, रंग का था जिसका ढक्कन खोलकर सूंघा व हमराहगण को सुंघाया तो बहुत ही गहरी तीक्ष्ण गंध आ रही थी । मो० मुस्ताक ने इस्टिक एन. हाइड्राइड बताया, जो मारफीन बनाने में काम आता है। मो० मुश्ताक के पहने हुए जींस पैंट के सामने दाहिनी वाली जेब से एक पॉलीथिन में अखबार में लिपटा हुआ पाउडर जैसा पदार्थ बरामद हुआ, जिसे खोलकर देखा तो भूरे रंग का सूंघने पर मारफीन की बू आ रही थी। जिसे मुश्ताक ने बताया साहब, यही मारफीन है। तत्पश्चात बरामद मारफीन का वजन तफ्तीश किट से तराजू बांट निकालकर तौल की गई तो वजन 100 gram पाया गया। मो0 मुस्ताक से मारफीन व इस्टिक एन. हाइड्राइड को रखने के संबंध में अधिकार पत्र मांगा गया तो नहीं दिखा सका । मो० मस्ताक को उसके जुर्म धारा-

8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट से अवगत कराते हुए कारण बताकर गिरफ्तारी, मानवाधिकार आयोग एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों निर्देशों का पालन करते हुए समय करीब 18:30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा बरामद मारफीन व पिपिया इस्टिक एन हाइड्राइड को कब्जा पुलिस में लिया गया। मौके पर ही बरामद मारफीन को उसी अखबार व पॉलीथीन में रखकर एक कपड़े में रखकर तथा पिपिया के ढक्कन को बंद कर एक कपड़े से मुंह बांधकर सीलमोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। मौके पर ही गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया। पूँछतांछ करने पर मो० मुश्ताक ने बताया कि यह माल मेरे ही गाँव के लुगुद्दी पुत्र जब्बार का है, जिसने मुझसे कहा था कि यह माल हरख रोड तक पहुंचा दो। मैं पीछे से आ रहा हूँ जिसे यह माल देना है, उसे वहीं बुला लूंगा। उसी का मैं इंतजार कर रहा था। मुझे यह नहीं पता कि किसे माल देना है । फर्द मौके पर पढ़ लिखकर सुनाकर अलामात हमराही कर्मचारीगण व अभियुक्त बनवाए गए। उक्त फर्द के आधार पर थाना –जैदपुर, बाराबंकी में मो० मुश्ताक के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या-365/2011 धारा–8/21 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम पंजीकृत किया गया । दौरान विवेचना मामले में रपट संख्या-11, दिनांकित-11-06-2011, समय 09:10 बजे , धारा-9A/25A NDPS Act की बढ़ोत्तरी की गयी । विवेचक द्वारा दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर मो० मुश्ताक के विरुद्ध धारा–8/21/9A/25A स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त मो० मुश्ताक के विरुद्ध धारा– 8/21/9A/25A स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत आरोप विरचित किया गया । अभियुक्त मो० मुश्ताक के विरुद्ध विरचित आरोप को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षीगण PW-1 उपनिरीक्षक रामकुमार वर्मा व PW-2 उपनिरीक्षक राजा सिंह को परिक्षित कराया गया है ।

**10.** अभियोजन कथानक को दृष्टिगत रखते हुये महत्वपूर्ण विचारणीय विन्दु यह है कि क्या दिनांक- 10/06/2011 को समय करीब 18.30 बजे वहद स्थान ग्राम चन्दौली मानपुर चौराहा, अन्तर्गत थाना जैदपुर, बाराबंकी में अभियुक्त मो० मुश्ताक को वादी मुकदमा / एस०आई० रामकुमार वर्मा एवं अन्य हमराहियान पुलिस कर्मचारीगण द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार जामा तलाशी लिये जाने पर उसके कब्जे से 100 ग्राम (सौ ग्राम) नाजायज मारफीन तथा प्लास्टिक की एक पिपिया में मारफीन बनाने का 10 लीटर तरल पदार्थ अर्थात् एसिटिक एन. हाईड्राइड बरामद हुआ, जिनको रखने का उसके कोई लाइसेंस नहीं था ?

**11.** **धारा–8 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम का प्रावधान निम्नवत है -** कुछ कार्यों का प्रतिषेध - कोई भी व्यक्ति-

(ए) किसी कोका पौधे की खेती करना या कोका पौधे का कोई भाग इकट्ठा करना; या

(बी) अफीम पोस्त या किसी भांग के पौधे की खेती करना; या

(सी) किसी भी मादक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण, उपयोग, उपभोग, अंतर-राज्यीय आयात, अंतरराज्यीय निर्यात, भारत में आयात, भारत से निर्यात या ट्रांसशिप करना, चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए छोड़कर और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या आदेशों के उपबंधों द्वारा उपबंधित रीति से और सीमा तक और ऐसे मामले में जहां ऐसा कोई उपबंध लाइसेंस, परमिट

या प्राधिकरण के माध्यम से कोई अपेक्षा अधिरोपित करता है, ऐसे लाइसेंस, परमिट या प्राधिकरण के निबंधनों और शर्तों के अनुसार करेगा अन्यथा नहीं ।

**12. धारा -21 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम का प्रावधान निम्नवत् है - विनिर्मित औषधियों और तैयारियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड-** जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में, किसी विनिर्मित औषधि या किसी विनिर्मित औषधि से युक्त किसी तैयारी का विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतरराज्यीय आयात, अंतरराज्यीय निर्यात या उपयोग करेगा, वह निम्नलिखित के लिए दण्डनीय होगा,

(ए) जहां उल्लंघन छोटी मात्रा से संबंधित है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जा सकता है;

(बी) जहां उल्लंघन में वाणिज्यिक मात्रा से कम लेकिन छोटी मात्रा से अधिक मात्रा शामिल है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगा;

(सी) जहां उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है, वहां कम से कम दस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया जाएगा, किन्तु जो बीस वर्ष तक का हो सकेगा, तथा कम से कम एक लाख रुपए के जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा, किन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा।

परन्तु न्यायालय, निर्णय में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगा सकेगा।

**13. 9-क. नियन्त्रित पदार्थों को नियन्त्रित और विनियमित करने की शक्ति -**

(1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के उत्पादन या विनिर्माण में किसी नियन्त्रित पदार्थ के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, आदेश द्वारा, उसके उत्पादन, विनिर्माण प्रदाय और वितरण तथा उसके व्यापार और वाणिज्य को विनियमित या प्रतिषिद्ध करने का उपबन्ध कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके अधीन किया गया कोई आदेश किसी नियन्त्रित पदार्थ के उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, अन्तर्राज्यिक आयात, अन्तर्राज्यिक निर्यात, विक्रय, क्रय, उपभोग, उपयोग, भण्डारण, वितरण, व्ययन या उसके अर्जित करने की अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा-पत्र द्वारा या अन्यथा विनियमित करने, का उपबन्ध कर सकेगा।

**14. 25-क. धारा 9-क के अधीन किए गए आदेशों के उल्लंघन के लिए दण्ड-**

यदि कोई व्यक्ति धारा 9-क के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगाः

परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएँगे, एक लाख रुपये से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

**15.** प्रश्नगत मामले में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यानुसार वादी मुकदमा उपनिरीक्षक रामकुमार वर्मा, थाना जैदपुर, जिला बाराबंकी द्वारा फर्द बरामदगी के आधार पर दिनांक-10-06-2011 को समय 20:15 बजे थाना जैदपुर, जिला बाराबंकी में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक-10/06/2011 को वादी एस०आई० रामकुमार वर्मा मय हमराही कांस्टेबिलगण राजनारायण यादव व दीना नाथ यादव के साथ थाने से बहवाले रपट संख्या-42 समय 16:45 बजे रवाना होकर ग्राम टिकरा में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो करौंदी गाँव का रहने वाला है, अपने गाँव से कुछ मारफीन व एक पिपिया में मारफीन बनाने वाला तरल पदार्थ लेकर चंदौली मानपुर चौराहे जैदपुर हरख जाने वाली रोड की तरफ आ रहा है जो किसी साधन से लखनऊ अथवा बाराबंकी जाएगा। यदि जल्दी की जाये तो पकड़ा जा सकता है कि मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर मय हमराही कर्मचारीगण व मुखबिर को साथ लेकर आसनाय राह से गवाह फराहम करने की कोशिश करते हुए परन्तु भलाई बुराई के डर के कारण कोई भी व्यक्ति गवाही के लिए तैयार नहीं हुआ था कि हम लोग चंदौली मानपुर चौराहा हरख रोड के करीब पहुंचे तो एक व्यक्ति चौराहा पर सड़क के किनारे बैठा हुआ एक सफेद प्लास्टिक की पीपिया लिए बैठा दिखाई दिया, जिसको देखकर मुखबिर इशारा कर चला गया। बैठा हुआ व्यक्ति हम पुलिस वालों को देखकर उठकर अपने हाथ में पिपिया लेकर करौंदी जाने वाली सड़क से तेज कदमों से चलने लगा कि शक होने पर हमराही कर्मचारी गण की मदद से चौराहा से करीब 20-25 कदम की दूरी पर रोक लिया और नाम पता पूछते हुए उससे एकदम से उठकर चलने का कारण पूछा गया तो उसने अपना नाम मो० मुश्ताक पुत्र फरीद निवासी करौंदीकला थाना सतरिख जिला बाराबंकी बताते हुए कहा कि साहब मेरे पास थोड़ी मारफीन है तथा इस पिपिया में मारफीन बनाने वाला तरल पदार्थ है। इसे इस्टिक एन. हाइड्राइड कहते हैं, इसलिए डर के कारण भागना चाह रहा था कि आप लोगों ने पकड़ लिया। मो० मुश्ताक द्वारा अपने पास मारफीन का होना व मारफीन बनाने वाला इस्टिक एन. हाइड्राइड का होना बता रहा था, अतः उसे बताया गया कि आपको को यह अधिकार कि आप अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी के समक्ष चलकर दे सकते हैं या फिर उन्हें सूचना देकर यहीं बुला लिया जा सकता है जिस पर मो० मुश्ताक ने बताया कि मुझे कहीं नहीं जाना है। मैंने आपसे पहले ही बता दिया है, जो भी तलाशी लेनी हो, मैंने बताया है वही निकलेगा आप पर मुझे विश्वास है आप ही मेरी तलाशी ले लीजिए । मो० मुश्ताक की सहमति पर सहमति पत्र लिख पढ़कर सुना कर निशानी अंगूठा बनवाया गया । मो० मुस्ताक के इत्मीनान हेतु हम पुलिस वालों ने एक–दूसरे की जामा तलाशी ले देकर इत्मीनान किया कि किसी के पास कोई अवैध वस्तु नहीं है। तत्पश्चात मो० मुश्ताक उपरोक्त की जामा तलाशी ली गई तो दाहिने हाथ से एक सफेद रंग की प्लास्टिक की पिपिया, जिसमें करीब 10 लीटर तरल पदार्थ मटमैले, रंग का था जिसका ढक्कन खोलकर सूंघा व हमराहगण को सुंघाया तो बहुत ही गहरी तीक्ष्ण गंध आ रही थी । मो० मुस्ताक ने इस्टिक एन. हाइड्राइड बताया, जो मारफीन बनाने में काम आता है। पिपिया पर एक लेवल जिस पर 'मजबूत क्वालिटी का वादा रतन हेवी ड्यूटी' लिखा है तथा पहने हुए जींस पैंट के सामने दाहिनी वाली जेब से एक पॉलीथिन में अखबार में लिपटा हुआ पाउडर जैसा पदार्थ बरामद हुआ, जिसे खोलकर देखा तो भूरे रंग का सूंघने पर मारफीन की बू आ रही थी। जिसे मुश्ताक ने बताया साहब, यही मारफीन है। तत्पश्चात बरामद मारफीन का वजन तफ्तीश किट से तराजू बांट निकालकर तौल की गई तो वजन 100 gram पाया गया।

मो0 मुस्ताक से मारफीन व इस्टिक एन.हाइड्राइड को रखने के संबंध में अधिकार पत्र मांगा गया तो नहीं दिखा सका मो० मस्ताक को उसके जुर्म धारा - 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट से अवगत कराते हुए कारण बताकर गिरफ्तारी, मानवाधिकार आयोग एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों निर्देशों का पालन करते हुए समय करीब 18:30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा बरामद मारफीन व पिपिया इस्टिक एन हाइड्राइड को कब्जा पुलिस में लिया गया। मौके पर ही बरामद मारफीन को उसी अखबार व पॉलीथीन में रखकर एक कपड़े में रखकर तथा पिपिया के ढक्कन को बंद कर एक कपड़े से मुंह बांधकर सीलमोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। मौके पर ही गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया। पूँछतांछ करने पर मो० मुश्ताक ने बताया कि यह माल मेरे ही गाँव के लुगुद्दी पुत्र जब्बार का है, जिसने मुझसे कहा था कि यह माल हरख रोड तक पहुंचा दो। मैं पीछे से आ रहा हूँ जिसे यह माल देना है, उसे वहीं बुला लूंगा। उसी का मैं इंतजार कर रहा था। मुझे यह नहीं पता कि किसे माल देना है । फर्द मौके पर पढ़ लिखकर सुनाकर अलामात हमराही कर्मचारीगण व अभियुक्त बनवाए गए। फर्द बरामदगी के आधार पर घटना की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी जिसका इन्द्राज कायमी जी०डी० जी.डी.रपट संख्या– 50 समय 20:15 पर किया गया । अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **PW-1** उपनिरीक्षक रामकुमार वर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि दिनांक 10/6/2011 को मैं थाना जैदपुर में बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। उस दिन हमराही आरक्षी राजनारायण यादव व दीना यादव के साथ तलाश वांछित अपराधी थाने से अपनी रवानगी रपट, संख्या 42 समय 16:45 बजे दर्ज कराकर रवाना हुआ था। गश्त करते हुए ग्राम टिकरा पहुंचा तब मुखबिर खास से सूचना मिली कि करौंदी गाँव का एक व्यक्ति नाजायज मारफीन व मारफीन बनाने का तरल पदार्थ एक पिपिया में लेकर मानपुर चंदौली चौराहे की तरफ आ रहा है, जो बाराबंकी या लखनऊ जाएगा। इस सूचना पर विश्वास करके हमराही कर्मचारीगण व मुखबिर को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान की ओर चले और गवाहन की तलाश किया । भलाई–बुराई के डर से कोई गवाही के लिए तैयार नहीं हुआ था । जब हम लोग तिराहे के पास पहुंचे, तब वहां पर एक व्यक्ति एक सफेद पिपिया लिए बैठा दिखाई दिया। मुखबिर इशारा करके चला गया। हम पुलिस पार्टी को देखकर वह व्यक्ति करौंदी की ओर जाने लगा। शक होने पर चौराहे से करीब 20-25 कदम की दूरी पर करौंदी जाने वाली सड़क पर रोक लिया और नाम पता पूछते हुए भागने का कारण पूछा। तब उसने अपना नाम मुश्ताक पुत्र फरीद , निवासी करौंदी थाना सतरिख जिला बाराबंकी बताया और बताया कि मेरे पास थोड़ी मारफीन व पिपिया में मारफीन बनाने का एसिटिक एन. हाइड्राइड तरल पदार्थ है । मुश्ताक ने यह बताने पर उसे बताया गया कि तुम्हें अधिकार है कि तुम अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने चलकर दे सकते हो या फिर उन्हें सूचना देकर यहां बुलाया जा सकता है । जिस पर मुश्ताक ने बताया कि मुझे कहीं नहीं जाना है, आप पर विश्वास है आप ही हमारी जामा तलाशी ले सकते हैं। मुश्ताक की सहमति पर मौके पर ही सहमति तैयार किया गया । जिसे साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर में बताते हुए उसे प्रदर्श **क-1** के रूप में साबित किया। साक्षी ने अपने बयान में यह भी कहा कि मुश्ताक को इत्मिनान करने हेतु हम पुलिस वालों ने एक–दूसरे की जामा तालाशी ले–देकर यह इत्मीनान कराया गया कि हम लोगों के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है। तत्पश्चात मुश्ताक की जामा तलाशी ली गई तो उसके दाहिने हाथ से एक सफेद प्लास्टिक की पीपिया, जिसमें करीब 10 liter तरल पदार्थ मारफीन बनाने वाला बरामद हुआ तथा उसके पहने हुए जींस प्वाइंट के दाहिने जेब से एक पॉलीथिन में

अखबारी कागज में पाउडर जैसा पदार्थ बरामद हुआ था जिसको खोलकर देखा व सूंघा गया तो मारफीन की गंध आ रही थी तथा पिपिया के ढक्कन को खोल कर देखा गया तो उसमें तीक्ष्ण गंध आ रही थी । तफ्तीश बैग से तराजू, बांट निकालकर तौला गया तो वजन 100 gram पाया गया । समय 18:30 बजे कारण गिरफ्तारी बताते हुए मानवाधिकार व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए गिरफ्तारी की गई । दौरान गिरफ्तारी आने जाने वाले लोगों से गवाही के लिए कहा गया। सब गवाही से इनकार करते हुए बिना नाम बताए चले गए । बरामद मारफीन को उसी अखबारी कागज व पालीथीन के एक कपड़े में तथा पिपिया के ढक्कन को एक सफेद कपड़े से बांधकर सील मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया तथा गिरफ्तारी मेमों मौके पर तैयार कराया गया जिस पर प्रदर्श क-2 डाला गया । मुश्ताक से पूछा गया तब उसने बताया कि मेरे गाँव के लुगदी पुत्र जब्बार का ये माल है। उसने कहा था कि मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। हरख रोड तक पहुँचा है। मैंने फर्द मौके पर लिखी थी। साक्षी ने फर्द पर अपने व हमराहियान के हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा लगवाया जाना बताया तथा फर्द की नकल अभियुक्त को दी गयी। साक्षी ने फर्द को प्रदर्श क-3 के रूप में साबित किया। माल व मुल्जिमान को थाने लाकर दाखिल किया तथा फर्द के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया था । साक्षी ने सहमति पत्र को प्रदर्श क-1, गिरफ्तारी मेमों को प्रदर्श क-2 तथा फर्द को प्रदर्श क-3 के रूप में साबित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०-2 उप निरीक्षक राजा सिंह ने अपनी मुख्य साक्ष्य में बयान दिया कि दिनांक 10/6/2011 को वह थाना जैदपुर, बाराबंकी में तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा उपनिरीक्षक श्री रामकुमार वर्मा द्वारा दी गई लिखित तहरीर मय अभियुक्तगण मय बरामद माल मुकदमा थाना कार्यालय उपस्थित आए तथा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या-365/2011 अंतर्गत धारा–8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट बनाम मोहम्मद मुश्ताक पंजीकृत किया, जिसका खुलासा रोजनामचा आम की रपट संख्या–50 समय 20:15 पर मूल के क्रम में किता किया था। मूल चिक व कायमी जी०डी० की कार्बन प्रति पत्रावली में संलग्न है। साक्षी ने मूल चिक को प्रदर्श क -4 व कायमी जी.डी. को प्रदर्श क-5 के रूप में साबित किया। यह भी कहा कि कायमी जी.डी. नियमानुसार नष्ट की जा चुकी है। यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं अभियुक्त की ओर से नक्शा नजरी, आरोप पत्र व विधि विज्ञान प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी है । जिसके आधार पर नक्शा नजरी पर प्रदर्श क-6, आरोप पत्र पर प्रदर्श क-7, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट पर प्रदर्श क-8 डाला गया । विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट प्रदर्श क-8 के अनुसार परीक्षण हेतु भेजी गयी 30ml. शीशी के द्रव का विश्लेषण किये जाने पर एसिटिक एनहाईड्राइड पाये जाने की पुष्टि की गयी है ।

**16.** इस प्रकार उपर्युक्त विश्लेषण से यह पूर्णतया स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मामले में दिनांक- 10/06/2011 को समय करीब 18.30 बजे वहद स्थान ग्राम चन्दौली मानपुर चौराहा, अन्तर्गत थाना जैदपुर, बाराबंकी में अभियुक्त मो० मुश्ताक को वादी मुकदमा / एस०आई० रामकुमार वर्मा एवं अन्य हमराहियान पुलिस कर्मचारीगण द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार जामा तलाशी लिये जाने पर उसके कब्जे से 100 ग्राम (सौ ग्राम) नाजायज मारफीन तथा प्लास्टिक की एक पिपिया में मारफीन बनाने का तरल पदार्थ अर्थात् एसिटिक एनहाईड्राइड बरामद हुआ, जिनको रखने का उसके कोई लाइसेंस नहीं था । अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी PW-1 उपनिरीक्षक रामकुमार वर्मा के द्वारा साक्ष्य में दिये गये अपने बयान में अभियोजन कथानक की पुष्टि करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त मो० मुश्ताक को

दिनांक- 10/06/2011 को समय करीब 18.30 बजे वहद स्थान ग्राम चन्दौली मानपुर चौराहा, अन्तर्गत थाना जैदपुर, बाराबंकी में वादी मुकदमा / एस०आई० रामकुमार वर्मा एवं अन्य हमराहियान पुलिस कर्मचारीगण द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार जामा तलाशी लिये जाने पर उसके कब्जे से 100 ग्राम (सौ ग्राम) नाजायज मारफीन तथा प्लास्टिक की एक पिपिया में मारफीन बनाने का तरल पदार्थ अर्थात् एसिटिक एनहाईड्राइड बरामद हुआ, जिनको रखने का उसके कोई लाइसेंस नहीं था । इसी प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अन्य साक्षी PW-2 उपनिरीक्षक राजा सिंह द्वारा दौरान मुख्य साक्ष्य अभियोजन कथानक की पुष्टि करते हुए अभियोजन प्रपत्र चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट व कायमी जी०डी० को साबित किया गया है । अभियुक्त द्वारा भी अन्य अभियोजन प्रपत्र नक्शा नजरी, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट व आरोप पत्र की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी है । स्वयं अभियुक्त की ओर से धारा-313 दं०प्र०सं० के तहत अभिलिखित किये गये बयान में स्वयं घटना को सही बताते हुए जुर्म स्वीकार किया गया है । अभियुक्त द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार करते हुए प्रश्नगत मामले की घटना को सही बताया गया है । इस प्रकार अभियोजन साक्षी द्वारा साक्ष्य में दिये गये बयान, अभियोजन प्रपत्र तथा अभियुक्त द्वारा धारा-313 दं०प्रं०सं० के तहत दिये गये बयान व उसकी ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में वर्णित किये गये तथ्यों के आधार पर यह पूर्णतया साबित होता है कि वादी मुकदमा सहित अन्य पुलिस बल द्वारा अभियुक्त मो० मुश्ताक को दिनांक- 10/06/2011 को समय करीब 18.30 बजे वहद स्थान ग्राम चन्दौली मानपुर चौराहा, अन्तर्गत थाना जैदपुर, बाराबंकी में गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार जामा तलाशी लिये जाने पर उसके कब्जे से 100 ग्राम (सौ ग्राम) नाजायज मारफीन तथा प्लास्टिक की एक पिपिया में मारफीन बनाने का तरल पदार्थ अर्थात् एसिटिक एनहाईड्राइड बरामद हुआ, जिनको रखने का उसके कोई लाइसेंस नहीं था । अभियुक्त मो० मुश्ताक के पास से जिस वस्तु अर्थात 100 ग्राम नाजायज मारफीन की बरामदगी की गयी है, वह धारा 8/21 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है तथा प्लास्टिक की पिपिया में मारफीन बनाने सम्बंधी जिस तरल पदार्थ अर्थात् एसिटिक एनहाईड्राइड की बरामदगी की गयी है, वह धारा-9A/25A स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है । उल्लेखनीय यह भी है कि अभियुक्त मो० मुश्ताक के पास से जितनी मात्रा ( 100 ग्राम) में नाजायज मारफीन बरामद होना कहा गया है, वह स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में अल्प मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा को विनिर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना की सारिणी में वर्णित लघु मात्रा से अधिक तथा वाणिज्यिक मात्रा से कम की श्रेणी में आता है जो कि धारा-21(B) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है । अभियुक्त के कब्जे से मारफीन बनाने सम्बंधी 10 लीटर तरल पदार्थ अर्थात् एसिटिक एनहाईड्राइड बरामद होना भी कहा गया है, जो धारा-9A/25A स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है ।

**17.** अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व अभियुक्त की संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त मो० मुश्ताक के विरुद्ध धारा-8/21(B) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम एवं धारा-9A/25A स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप युक्ति–युक्त

संदेह से परे सिद्ध होता है । अतएव उक्त आरोप के लिये अभियुक्त मो० मुश्ताक दोषसिद्ध किये जाने योग्य है ।

**<u>आदेश</u>**

**18.** अभियुक्त मो० मुश्ताक को धारा–8/21(B) एवं धारा-9A/25A स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त मो० मुश्ताक प्रश्नगत मामले में जामानत पर है । उसके बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं । अभियुक्त मो० मुश्ताक को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये । अभियुक्त तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा आज ही दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने का अनुरोध किया गया। अतः दण्ड के प्रश्न पर सुनवायी हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो ।

दिनांक–: 08.04.2026

(परशुराम)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०-4, जनपद– बाराबंकी ।
J.O. Code No.UP645

**19.** पत्रावली लंचबाद पुनः पेश हुई । दंड के प्रश्न पर उभयपक्षों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का पुनः गहनता से परिशीलन किया ।

**20.** विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क किया गया कि अभियुक्त मो० मुश्ताक एक पेशेवर अपराधी है । उसके पास से नाजायज मारफीन 100 ग्राम एवं मारफीन बनाने सम्बंधी 10 लीटर तरल पदार्थ अर्थात् एसिटिक एनहाईड्राइड बरामद हुआ है । इसलिये अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाय ।

**21.** अभियुक्त की ओर से तर्क करते हुये कहा गया कि वह मजदूर पेशा अत्यंत ही गरीब व्यक्ति है । उसके परिवारीजन का पालन पोषण करने का उनके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है । यह भी तर्क किया गया कि वह इस मामले में जिला कारागार में लम्बी अवधि तक निरुद्ध भी रहा है तथा विगत 15 वर्षों से मुकदमें के विचारण में लगातार उपस्थित होता रहा है, जिसके कारण वह वैसे ही काफी सजा भुगत चुका है । इसलिये उसके द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि के दण्ड से दण्डित किया जाकर उन्हे मुक्त कर दिया जाय ।

**22.** विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी तथा अभियुक्त मो० मुश्ताक की ओर से किये गये तर्कों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दोषसिद्ध अभियुक्त की सामाजिक, आर्थिक व पारिवारिक परिस्थितियों तथा अभियुक्त के पास से बरामद मारफीन की

मात्रा व मारफीन बनाने सम्बंधी 10 लीटर तरल पदार्थ अर्थात् एसिटिक एनहाईड्राइड को दृष्टिगत रखते हुये दोषसिद्ध अभियुक्त को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित एवं तर्कसंगत पाता हूँ जिससे कि न्याय के उद्देश्य की भी पूर्ति हो सके ।

**आदेश**

**23.** दोषसिद्ध अभियुक्त मो० मुश्ताक को धारा–8/21(B) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप के लिए दो (02) माह के कारावास के दण्ड तथा मु०-2000/-(दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड की धनराशि जमा न करने की स्थिति में सम्बंधित अभियुक्त को 20 (बीस) दिवस की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी ।

**24.** दोषसिद्ध अभियुक्त मो० मुश्ताक को धारा–9A/25A स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप के लिए दो (02) माह के कारावास के दण्ड तथा मु०-2000/-(दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड की धनराशि जमा न करने की स्थिति में सम्बंधित अभियुक्त को 20 (बीस) दिवस की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी ।

**25.** अभियुक्त की दोनो सजाएं साथ साथ चलेंगी । अभियुक्त द्वारा इस मामले में पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित होगी ।

**26.** इस निर्णय की एक प्रति निःशुल्क एवं अविलम्ब दोषसिद्ध अभियुक्त को प्राप्त करायी जाये तथा सजायाबी वारण्ट तद्नुसार अधीक्षक जिला कारागार बाराबंकी को भेजी जाये ।

दिनांक–: 08.04.2026

(परशुराम)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०-4, जनपद– बाराबंकी ।
J.O. Code No.UP6451

**27.** उपरोक्त निर्णय, आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया ।

दिनांक–: 08.04.2026

(परशुराम)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०-4, जनपद– बाराबंकी ।
J.O. Code No.UP6451